उत्तराखण्ड शासन
संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ (वित्त)
संख्याः 437/सी0एम0आर0(5–32598)/स0वि0प्र0/2026
देहरादूनः दिनांक 21 सितम्बर, 2026

प्रमुख सचिव/सचिव
उरेडा/एम0एस0एम0ई0/उद्योग/ग्राम्य विकास/
वित्त/पर्यटन/राजस्व/कृषि/उद्यान/पशुपालन/
मत्स्य/शहरी विकास/समाज कल्याण
उत्तराखण्ड शासन।

विषय : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 97वीं विशेष बैठक दिनॉक 09.07.2026 का माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा अनुमोदित कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 97वीं विशेष बैठक दिनांक 09.07.2026 का माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा अनुमोदित कार्यवृत आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त करना चाहें।

संलग्नक यथोपरि

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 21-09-2026
14:22:16

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव, वित्त

संख्या – 437 /सी0एम0आर0(5–32598)/स0वि0प्र0/2026 एवं तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव, वित्त महोदय के संज्ञानार्थ।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, वित्त महोदय के संज्ञानार्थ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 42, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

7. महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स (पुलिस विभाग), उत्तराखण्ड, 46, गाँधी रोड, नियर प्रिन्स चौक, देहरादून।
8. निदेशक, डाक सेवायें, जी0पी0ओ0 कम्पाउण्ड, घंटाघर, देहरादून।
9. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, देहरादून।
10. रिजनल हैड, आई0पी0पी0बी0, देहरादून।
11. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम देहरादून।
12. सहायक निदेशक (सी), दूरसंचार विभाग, यू0पी0 (पश्चिम)ए एल0एस0ए0, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन, कॉवली रोड, देहरादून।
14. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड, भारतीय स्टेट बैंक, ऑचलिक कार्यालय, 1 न्यू केन्ट रोड, देहरादून को उनके पत्रांक: 2026–27/एस.एल.बी.सी./82 दिनॉक 25.08.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव, वित्त

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई, 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 97वीं विशेष बैठक का कार्यवृत

बैठक में उपस्थिति संलग्न विवरणानुसार रही।

बैठक के प्रारम्भ में सदन को सम्बोधित करते हुए सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13 फरवरी 2026 को आयोजित हुई थी। उक्त बैठक के कार्यवृत सभी संबंधित सदस्यों को प्रेषित किए गए थे। कार्यवृत के संबंध में किसी भी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः पूर्व बैठक की कार्यवृत को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित माना गया।
- यह भी अवगत कराया गया कि 95वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में सितंबर, 2025 एवं दिसंबर, 2025 तिमाही के आँकड़ों की समीक्षा की गई थी। अतः दिसंबर, 2025 तिमाही की समीक्षा को पूर्व बैठक में संपन्न माना गया। इस प्रकार, 95वीं एवं 96वीं एस.एल.बी.सी. बैठकों को संयुक्त बैठक के रूप में माना जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य में अग्रिमों में ₹15,888 करोड़ (12.22%) तथा जमाओं में ₹20,971 करोड़ (8.75%) की वृद्धिं दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का ऋण–जमा अनुपात 54% से बढ़कर 55.99% हो गया।
- एमएसएमई क्षेत्र में ₹31,442 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹34,987 करोड़ (111%) का ऋण वितरित कर 1,69,515 इकाईयों को लाभान्वित किया गया।
- राज्य में 95% से अधिक बचत खातों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जा चुका है। साथ ही, डिजिटल भुगतान एवं QR आधारित लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं एवं लगातार संचालित किए जा रहे हैं।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया गया। बताया गया कि मूल्य बंधक (Equitable Mortgage) की सुविधा के विस्तार हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है तथा इस संबंध में राजस्व विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक की तिथि तक अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी एवं चमोली (गोपेश्वर) जिलों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो चुकी थी।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40 प्रतिशत से कम ऋण–जमा (CD) अनुपात वाले जनपदों में विशेष कार्ययोजना बनाकर नियमित समीक्षा जारी रखने के निर्देश दिए। अवगत कराया गया कि जिला स्तरीय समीक्षाओं के परिणामस्वरूप रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर जनपदों के प्रदर्शन में सुधार दर्ज हुआ है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में बताया गया कि सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों (LDMs) द्वारा जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चिन्हित 09 जनपदों में बचत खातों की डिजिटल कवरेज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- लंबित आरसेटी भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यो की नियमित समीक्षा की जा रही है। सात स्वीकृत भवनों में से तीन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनमें रुद्रप्रयाग आरसेटी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इसके अगस्त, 2026 तक संचालन प्रारंभ होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शेष आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)

- स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार से बैंकों हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर शीघ्र स्पष्ट व्यवस्था विकसित कर बैंकों के समक्ष विद्यमान समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

2. ऋण जमा अनुपात :

सचिव वित्त, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य का ऋण–जमा (CD) अनुपात 55.97% से बढ़कर 55.99% हो गया है। तथापि, राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष इसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु अधिक सक्रिय प्रयास किए जाएं तथा पात्र लाभार्थियों को ऋण आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं के संबंध में समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। केवल औपचारिक कमियों के आधार पर पात्र आवेदनों को लंबित न रखा जाए तथा जिला स्तर पर बैंक एवं संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। कम ऋण–जमा अनुपात वाले जनपदों के लिए जिला–विशिष्ट कार्ययोजना तैयार कर ऋण प्रवाह कम होने के कारणों का विश्लेषण किया जाए तथा स्थानीय आवश्यकता एवं संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ऋण वितरण बढ़ाया जाए। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कुछ जनपदों में बड़े संस्थागत एवं कॉरपोरेट लेन–देन के कारण ऋण–जमा अनुपात प्रभावित होता है, इसलिए केवल प्रतिशत के आधार पर नहीं बल्कि बैंकिंग पहुँच, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं ऋण क्षमता का भी समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार एवं स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं एवं ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ किया जाए तथा जमा वृद्धि के साथ–साथ ऋण वितरण पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। सभी बैंक संबंधित विभागों द्वारा आयोजित रोजगार एवं स्वरोजगार उन्मुख विशेष शिविरों में अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित करें तथा स्वरोजगार आधारित ऋणों को प्राथमिकता प्रदान करें।

सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के ऋण का औसत टिकट आकार (Ticket Size) अपेक्षाकृत कम होने पर चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया कि समस्त बैंक इस व्यवस्था की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करे कि पात्र स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार स्वीकृत ऋण सीमा यथासंभव एकमुश्त उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की समयबद्ध पूर्ति हो सके।

दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत यह विषय भी उठाया गया कि शासन द्वारा सब्सिडी जारी किए जाने के उपरांत संबंधित राशि को सीधे ऋण खाते में समायोजित (Credit) किए जाने की व्यवस्था का परीक्षण किया जाए, जिससे लाभार्थियों पर ब्याज का अनावश्यक भार कम हो सके। इस संबंध में बैंकों एवं संबंधित विभागों द्वारा नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक परीक्षण कर उपयुक्त व्यवस्था विकसित किए जाने पर विचार किया जाए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि बैंकवार एवं जनपदवार ऋण–जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पर्वतीय जनपदों में कौन–कौन से बैंक अपेक्षित ऋण प्रवाह सुनिश्चित कर रहे हैं तथा किन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है। इस आधार पर आवश्यक सुधारात्मक रणनीति तैयार की जाए।

सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुझाव दिया गया कि बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग जनपदों को अध्ययन (Case Study) के रूप में चयनित कर वहाँ कम ऋण–जमा अनुपात एवं ऋण प्रवाह की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया जाए तथा यदि किसी एक जिले में ऋण–जमा अनुपात सुधारने की रणनीति सफल होती है तो उसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि आगामी निर्वाचन संबंधी संभावित आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व अक्टूबर माह तक सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान विशेष अभियान (Mission Mode) के रूप में पूर्ण की जाए तथा उनके ऋण प्रस्ताव समयबद्ध रूप से संबंधित बैंकों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक / सम्बन्धित विभाग / एस.एल.बी.सी.)

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)

3. वार्षिक ऋण योजना 2026–27 :

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में प्राथमिक क्षेत्र ऋण में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक लक्ष्य उपलब्धि प्राप्त हुई है। विशेष रूप से MSME क्षेत्र में लगातार तीन वर्षों से लक्ष्य उपलब्धि 100% से अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक ऋण योजना **₹55174** करोड़ में **₹10239.76** करोड़ **(18.56%)** की बृद्धि कर वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वार्षिक ऋण योजना **₹65413.78 करोड़** की गयी है। उक्त विषयक चर्चा उपरांत सदन द्वारा सर्व सम्मति से **वार्षिक ऋण योजना 2026–27 ₹65413.78** करोड़ का अनुमोदन किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष संभावित क्षेत्रों के आधार पर संभावित ऋण योजना (PLP) तैयार की जाती है। बैठक में रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर जनपदों के अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए इन जनपदों हेतु लक्षित रणनीति अपनाने तथा जिला प्रशासन, बैंकों एवं संबंधित विभागों के समन्वय से कार्य करने पर बल दिया गया। साथ ही, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी एवं परियोजना लागत के संतुलन तथा परियोजनाओं की व्यवहार्यता का बैंक स्तर पर समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/ अग्रणी जिला प्रबन्धक/सम्बन्धित विभाग)

4. सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरकार प्रायोजित अधिकांश ऋण योजनाओं में बैंकों ने शत–प्रतिशत अथवा निकटतम लक्ष्य प्राप्त किया है, जबकि तकनीकी कारणों से मार्च माह के कुछ लंबित आवेदनों के निस्तारण की प्रकिया गतिमान है।

सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि होम–स्टें योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का संतृप्तिकरण (Saturation) अपेक्षित स्तर पर नहीं है। संबंधित विभाग एवं बैंक आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान, ऋण स्वीकृति एवं वित्तपोषण में तेजी लाएँ तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण में अपेक्षित रुचि नहीं लेने पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा संचालित रोजगारपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शिक्षा ऋण के लंबित प्रकरणों की अधिक संख्या पर चिंता व्यक्त की गई। सुझाव दिया गया कि विगत पांच वर्षों में शिक्षा ऋण वितरण, लंबित आवेदनों एवं उपलब्धियों के रुझान की समीक्षा प्रत्येक SLBC बैठक में की जाए तथा राज्य की क्रेडिट इंडिकेटर्स प्रगति की तुलना राष्ट्रीय औसत के आधार पर प्रस्तुत की जाए।

साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय हानि, वसूली एवं म्यूल खातों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मार्गदर्शन दिया गया कि आगामी SLBC बैठक में एसटीएफ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए तथा साइबर धोखाधड़ी से संबंधित कुल राशि, वसूली गई राशि, लंबित मामलों एवं म्यूल खातों पर की गई कारवाई का विवरण एजेंडा में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जाए। बैंकों को डिजिटल बैंकिंग में डबल ओटीपी जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने तथा एसटीएफ को बैंकवार साइबर धोखाधड़ी का डेटा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया, जिससे डिजिटल लेन–देन के सापेक्ष धोखाधड़ी का प्रभावी विश्लेषण किया जा सके।

बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्र पर प्रमुख बैंकों (SBI, PNB, HDFC Bank एवं ICICI Bank) के प्रतिनिधियों की तैनाती की व्यवस्था की जाए, जैसा कि हरियाणा राज्य में किया गया है। इस संबंध में भारतीय रिर्जव बैंक से आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि सभी बैंक एस.एल.बी.सी. बैठकों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग सुनिश्चित करें तथा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान दें। साथ ही, एस.एल.बी.सी. बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवृत्त के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध एवं तत्परता के साथ सुनिश्चित करे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप–महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में विलंब संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर न्यायालयों के आदेशों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन हेतु बैंकों द्वारा सुदृढ़ आंतरिक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया गया। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 जून, 2026 के परिपत्र के माध्यम से अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) में किए गए संशोधनों एवं जारी नवीन दिशानिर्देशों से सदन को अवगत कराया गया तथा सभी बैंकों से उनके प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के क्षेत्रीय निदेशक ने सभा को अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक व्यक्ति/परिवार को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की पहल अभी तक उत्तराखंड राज्य के 09 जिलों में पूरी नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि इसके कार्यान्वयन से राज्य के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, जो जिलों की प्रगति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इन 09 जिलों के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि वे व्यक्तिगत स्तर पर इसकी समीक्षा करें और निर्धारित 31 अगस्त, 2026 की समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / एस.एल.बी.सी. / संबंधित विभाग / एसटीएफ विभाग)

5. बैठक के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :

- राज्य के ऋण–जमा अनुपात (CD Ratio) में सुधार हेतु बैंकों एवं संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्य के ऋण–जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएँ।

- सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए तथा लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों द्वारा नियमित रूप से ऋण शिविरों का आयोजन किया जाए।

- बैंकों एवं संबंधित विभागों द्वारा नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं तथा संयुक्त रूप से पात्र लाभार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

- राज्य के पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इन क्षेत्रों को भविष्य के आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की आधारशिला मानते हुए स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों एवं आजीविका गतिविधियों को बैंक ऋण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।

- वर्ष–2047 तक विकसित भारत के संकल्प की प्राप्ति तभी संभव है, जब सभी संबंधित विभाग एवं बैंक अपने–अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करेंगे। अतः सभी हितधारक निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु समर्पित भाव से कार्य करें। विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के सफलता के उदाहरण (Success Stories) व्यापक स्तर पर साझा किया जाएँ, ताकि अन्य हितधारकों को प्रेरणा मिल सके।

- राज्य में डिजिटल भुगतान एवं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का व्यापक विस्तार सुनिश्चित किया जाए तथा विशेष रूप से दूरस्थ एवं अवशिष्ट क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए। साथ ही, ग्राहकों को डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।

- बैठक में निजी बैंकों की अनुपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि निजी बैंक भी सरकार प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें तथा अपेक्षित प्रगति दर्ज करें।

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell Advisor Banking NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on [illegible]

- रोजगार सृजन एवं पलायन की रोकथाम को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए निर्देशित किया गया कि बैंक स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार, उद्यमिता एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराएं। रोजगार सृजन करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए युवाओं एवं स्थानीय निवासियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बैंक एवं संबंधित विभाग समन्वित प्रयास करें।
- सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में महिला लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाए तथा उनके वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएँ।

(कार्यवाही : कृषि विभाग / पशुपालन विभाग / मत्स्य पालन विभाग / उद्यान विभाग / अन्य सम्बन्धित विभाग / समस्त बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, A.O.-I

शैलेश कुमार

संयोजक एवं महाप्रबन्धक (भारतीय स्टेट बैंक)
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)